

12/01/16

उप जिला कलेक्टर
डिप्टी कमिश्नरी, जिला जयपुरी

12/01/16 44400/का. 1/16। दावा में उक्त पत्र
 खण्ड के माफ़ को हवा दी एवं प्रतिवादी गण
 द्वारा "अनौठा" प्रमाण संख्या देना कि
 वादी गण के कारण (खण्ड 869 एवं
 870/0.15) ग्राम नौरंगावाड़ की
 रवालेदारी के अधिकार देने के लिए
 प्रतिवादी गण सहमत हुए। समस्त उपस्थित
 वादी गण एवं प्रतिवादी गण की सहमति पर
 हुए लिखित समझौते के आधार पर आरजी
 खण्ड 869 संख्या 0.09 एवं 870 संख्या
 0.15) ग्राम नौरंगावाड़ की रवालेदारी
 प्रतिवादी नं० 1 विजय, पुत्र गोधा गुज (निर्वाण)
 के ह्यात पर वादी नं० 1 ता 3 रामधन, रत्नीराम
 हरिराम पि० लक्ष्मण गुज के नाम दर्ज किने
 जाते के आदेश दिने जाते हैं। खण्ड नं०
 2371 पर देना पर कोई कर्तवाही नहीं चाहते हैं
 अतः अशाख्यसरा के अध्यापित शकी जावे।
 इसी आज ही पत्र जारी की जाकर
 पत्र के पालन हेतु की जावे। 44400/का.
 1/16 मसुदा एवं नमूने दिनांक की जाकर याद
 लक्ष्मील दारिद्र्यल दफ्तर की जावे।
 निरूपि खुले लोक अदालत राजसभ सिद्धि
 में आज दि. 12/01/16 को सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
डिप्टी कमिश्नरी, जिला जयपुरी